राजस्थान – सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार – कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित / सामान्य / 09 / दिनांक :

–: परिपत्र :–

राज्य सरकार के यह ध्यान में लाया गया हैं कि जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों की बैठकों में विभिन्न विभागों से संबंधित अधिकारी / कर्मचारी उपस्थित नहीं रहते हैं, जिससे उस क्षेत्र में चल रही स्कीमों तथा उनकी प्रगति के बारे में पंचायतीराज संस्थाओं के जन प्रतिनिधि अनभिज्ञ रहते हैं।

अतः आप यह सुनिश्चित करे कि आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों को पंचायत समितियों, जिला परिषदों की बैठकों एवं ग्राम पंचायतों की बैठकों में आवश्यक रूप से उपस्थित हो तथा विभाग से संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी एवं प्रगति बैठकों में उपलब्ध करवायें तथा इन संस्थाओं में लिये गये निर्णयों एवं सुझावों पर आप द्वारा आवश्यक कार्यवाही भी वांछनीय हैं।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित / सामान्य / 09 / 699 दिनांक : 23/09/09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर का उनकी अनौ0टिद्ध क्रमांक 305 दिनांक 01.09.09 के सन्दर्भ में।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके कार्यालय की डायरी क्रमांक 7580 दिनांक 03.09.09 के सन्दर्भ में।
3. अति0 निदेशक, राजपत्रित / प्रशासन / ग्रा0स्वा0 / आर0सी0एच0 / चि0प्र0 / आई0ई0सी0, मुख्यालय।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
6. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
7. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को लेख हैं कि उक्त परिपत्र को इन्टरनेट पर डलवाने की व्यवस्था करावें।
8. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।